न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/03/2021	2021/156	08.10.2021	20.01.2025

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ अलवर जरिये विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़।

---निगरानीकार

बनाम

1. अनिल कुमार जैन पुत्र माण्क चंद जैन जाति महाजन निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ़ तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।
2. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर जरिये सचिव/सरपंच।

---गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ दिनांक 06.06.11 जिसके द्वारा अनिगरानीकार संख्या 02 (सरपंच ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ) द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 01 को पट्टा अनुचित व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः--

01. श्री अशोक शर्मा — वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ दिनांक 06.06.2011 जिसके द्वारा अनिगरानीकार संख्या 02 (सरपंच ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ) द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 01 को पट्टा जारी किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि गाम पंचायत लक्ष्मणगढ के समक्ष गैरनिगराकार स० 1 अनिल कुमार जैन ने दिनाक 05.01.11 को एक प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रति दो एंव भूमि सम्बधि कागजात पट्टा लेने बाबत पंचायत गैरनिगराकार स० 2 के यहाँ प्रस्तुत किया जिस पर ग्गाम पंचायत द्वारा दिनाक 20.01.11 को उज्रदारी नोटिस जारी किये गये। जिसमे किसी ने उज्र नहीं किया इस पर ग्राम पंचायत के पंचो द्वारा दिनाक 21.02.11 को मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट मे पंचो ने लिखा कि मौके पर प्रार्थी का पुख्ता मकान बना हुआ है एंव इस मकान में प्रार्थी अपने परिवार सहित रहता है। यह मकान प्रार्थी का बहुत ही पुराना है एव इस मकान पर प्रार्थी का 43 वर्ष पूर्व से कब्जा है। इस मकान पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है इसलिए प्रार्थी का बंरग सुर्ख नक्शा मुताबिक पट्टा जारी करने की सिफारिश की जिस पर ग्गाम पंचायत द्वारा अनिल कुमार जैन पुत्र माणक चंद जैन को पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर 60 फुट, रूज्जी खॉ मेव का मकान, तरफ दक्षिण 51 फुट, गली 3 फुट शामलाती, उत्तर से दक्षिण तरफ पूर्व 38 फुट, समसू खॉ रूज्जी खॉ मेव का मकान एंव तरफ पश्चिम 38 फुट, आम रास्ता 8 फुट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 55.5 गुना 38 – 2109 वर्गफुट बनता है। जिसकी पट्टा फिस 200/—रूपये पंचायत कोष में जमा कर देने के बाद नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

गैरनिगराकार स० 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूध जारी किया है तथा पंचायती राज० अधि० व राजस्थान पंचायती राज० नियमों की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय जिस मकान बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूखण्ड पर जो निमार्ण है, वह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नही ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तथा उसने मौके से सबंधित कोई तथ्य मकाल के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नही किया गया है और ना ही जहां मकान स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अकिंत किया गया है तथा मकान के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नहीं किया गया है कि अमुक मकान के निमार्ण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली मे तो नही किया गया है।

मकान का पट्टा जारी करने हेतू जो उज्रदारी नोटिस निकाला गया है उसमे भी भूखण्ड की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नही किया है ताकि उजदार मकान/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उजदारी करने या करने की स्थिति पर विचार कर सके ना ही उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलो व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिर्पोट का हवाला ही अपने विवादित आदेश मे लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानो की पूर्ण अनेदखी करते हुयें जारी किया गया है जिस को मान्य करार नही दिया जा सकता है।

उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उस जांच मे भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई जिस जांच में पाया गया कि उक्त भूखण्ड आवेदक के पिता माणक चन्द जैन द्वारा मुसम्मात मोहरा बेवाह दयाकिसन सुपुत्री शिवनारायण ब्रहामण लक्ष्मणगढ से दिनांक 05.01.11 को पत्रावली कोरम के समक्ष पेश कर उज्रदारी नोटिस जारी का निर्णय लिया गया एंव नोटिस संरपच के हस्ताक्षरों के जारी किया गया जिस पर किस दिनाक को जारी किया गया का अकंन नही है तथा आपत्तियां मांगने के नोटिस मे यह भी अकंन नही किया गया है कि अनिल कुमार द्वारा कितने क्षेत्रफल के भूखण्ड का पट्टा किन किन सीमाओ मे स्थित भूखण्ड पट्टा बनवाने का आवेदन किया गया है। मौका रिपोर्ट हेतू कमेटी का गठन किया गया लेकिन किन किन वार्ड पंचो को कमेटी में नियुक्त किया, का विवरण नाम अकिंत नही किया गया है। आवेदक अनिल कुमार को पट्टा जारी किये जाने का दिनाक 06.06.2011 को फैसला लिया गया जिसका पंचायत बैठक कार्यवाही में अंकन नही है तथा पट्टा दिनाक 06.06.2011 को जारी किया गया है पट्टा फिस की राशि पंचायत कोष मे रसीद स0 19665 दिनाक 09.09.11 के द्वारा जमा कराई गई है इस प्रकार पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम की धारा 97 (1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नही है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी लोकायुक्त के पत्र दिनाक 30.03.17 से हुई जिससे यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनाक 06.06.11 को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकर्ता को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील निगरानीकार की बहस पर चिन्तन-मनन किया। निगरानी में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ द्वारा जारी पट्टों के संबंध में एक परिवाद श्री सुभाष तिवाड़ी द्वारा सन् 2017 में लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर (राज0) में पेश किया गया। लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर (राज0) की रिपोर्ट अनुसार अनील कुमार पुत्र माणक जैन लक्ष्मणगढ़ को जारी पट्टा मिसल में सामिल आज्ञाओं की सूची में दिनांक 05.01.2011 को पत्रावली कोरम के समक्ष पेश कर उज्रदारी नोटिस जारी का निर्णय लिया गया एवं नोटिस सरपंच के हस्ताक्षरों के जारी किया गया जिस पर किस दिनांक को जारी किया गया, का अंकन नहीं है तथा आपत्तियां मांगने के नोटिस में यह भी अंकन नहीं किया गया है कि अनिल कुमार द्वारा कितने क्षेत्रफल के भूखण्ड का पट्टा, किन-किन सीमाओं में स्थित का भूखण्ड पट्टा बनवाने का आवेदन किया गया है। आज्ञाओं की सूची में बिन्दू संख्या 2 पर गठित मौका कमेटी में नियुक्त वार्ड पंचों का विवरण (नाम) अंकित नहीं किया गया है। आवेदक अनिल कुमार को पट्टा जारी किये जाने का दिनांक 06.06.2011 को फैसला लिया गया जिसका पंचायत बैठक कार्यवाही में अंकन नहीं है। आवेदक अनिल कुमार जैन का पट्टा सं. 004 बुक सं. 017 सरपंच श्री बलराज व तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार के हस्ताक्षरों से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दिनांक 06.06.2011 को जारी किया गया है, जबकि पट्टा फीस की राशि पंचायत कोष में रसीद संख्या 19665 दिनांक 09.09.2011 के द्वारा जमा की गई है। तत्कालीन सरपंच श्री बलराज व तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार जैन ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ द्वारा उक्त पट्टे को जारी करने की प्रक्रिया में पंचायत नियम 1996 के नियम 140 से 168 तक की अवहेलना किये जाने का स्पष्ट प्रतीक है। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय अनेकों अनियमितताएं एवं पंचायती नियमों का उल्लंघन किया गया है। ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी उक्त पट्टा विधिवत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2011 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अनिगरानीकार संख्या 02 (ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़) द्वारा अनिगरानीकार संख्या 01 (अनिल कुमार जैन पुत्र माणक चंद जैन) के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 06.06.2011 को जारी पट्टे को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)